मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली–110006

File No. 188/CEO/SVEEP/P.A.Q. /2023/ 6066-6069 Dated:- 20/03/23

सेवा में

श्री नीरज अग्रवाल
उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

विषयः–दिनांक 22.03.2023 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 107 श्री प्रकाश जारवाल, द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रं संख्या सं.एफ.11 (बी–1)VII/2020–25/वि.स.स./प्रश्न शा./23597 दिनांक 13.03.2023 के सन्दर्भ में इस कार्यालय से उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 107 के उत्तर की 100 प्रतियाँ इस पत्रं के साथ संलग्न है। इस पत्र के साथ उत्तर व उसकी सॉफ्ट कॉपी PDF फार्म में भेजी जा रही है।

भवदीय,

(सुबोध रावत)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्वीप)

संलग्नः–उपरोक्त

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. सचिव, माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं निर्वाचन, दिल्ली सरकार, ए–विंग, 8 वीं मंजिल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002.
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी–दिल्ली के निजी सचिव/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निजी सहायक।

Scanned with OKEN Scanner

138/C
33/C

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली–110006

अतारांकित प्रश्न संख्याः– 107

दिनांकः– 22.03.2023

प्रश्नकर्ता का नामः– श्री प्रकाश जारवाल

क्या माननीय निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः–

प्रश्न	उत्तर
(क) देवली गाँव में एमसीडी स्कूल में 'बूथ कैपचरिंग' संबंधी मेरी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है; और	उपलब्ध अभिलेख के अनुसार देवली गांव के एमसीडी स्कूल में लोकसभा चुनाव 2019 एवं विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान कोई भी 'बूथ कैपचरिंग' की अप्रिय घटना नहीं हुई थी।
(ख) यह देखते हुए कि उक्त बूथ ठीक से चुनाव कराने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्या इस बूथ को कहीं और स्थानांतरित करने की कोई योजना है?	इस बूथ को कहीं और स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं निर्वाचन द्वारा अनुमोदित किया गया है।

भवदीय,

सु. रावत

(सुबोध रावत)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी(स्वीप)

Scanned with OKEN Scanner

1471/C
321/C

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली–110006

File No. 188/CEO/SVEEP/P.A.Q. /2023/ 6062-6065 Dated:- 20/03/23

सेवा में

श्री नीरज अग्रवाल
उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

21-03-2023

विषयः– दिनांक 22.03.2023 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 109 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी, द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रं संख्या सं.एफ.11 (बी–1)VII/2020–25/वि.स.स./प्रश्न शा./23597 दिनांक 13.03.2023 के सन्दर्भ में इस कार्यालय से उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर की 100 प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न है। इस पत्र के साथ उत्तर व उसकी सॉफ्ट कॉपी PDF फार्म में भेजी जा रही है।

भवदीय,

सु. रावत

संलग्नः–उपरोक्त

(सुबोध रावत)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्वीप)

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. सचिव, माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं निर्वाचन, दिल्ली सरकार, ए–विंग, 8वीं मंज़िल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002.
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी–दिल्ली के निजी सचिव/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निजी सहायक

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली–110006

अतारांकित प्रश्न संख्याः– 109

दिनांकः– 22.03.2023

प्रश्नकर्ता का नामः– श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

क्या माननीय निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः–

प्रश्न	उत्तर
(क) मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुल मतदाताओं का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएं तथा मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराइए:	1.विधानसभा क्षेत्र 18 (मॉडलटाउन) में कुल मतदाता 1,68,528 (एक लाख अड़सठ हजार पॉच सौ अठाईस)। 2. कुल महिला मतदाता संख्या 75746 (पचहतर हजार सात सौ छीयालिस)। 3. कुल पुरूष मतदाता 92,781 (बानवे हजार सात सौ इक्यासी) 4. कुल ट्रांसजेंडर मतदाता 01 (एक) 5. मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए दस्तावेजः– (जन्म तारीखं के सबूत के प्रमुख दस्तावेज) अ. सक्षम स्थानीय निकाय/नगरपालिक प्राधिकरण/जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार दवारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। ब. आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, सीबीएसई/राज्य शिक्षा बोर्डो दवारा जारी प्रमाणपत्र, पैन कार्ड और चालन अनुज्ञप्ति। 6. मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए दस्तावेजः– (निवास के सबूत के रूप मे प्रमुख दस्तावेज) अ. उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनैक्शन बिल (कम से कम 1 वर्ष)। ब.राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पास बुक/आधार कार्ड और भारतीय पासपोर्ट। स.राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है। ड.रजिस्ट्रीकृत किराया पटटा विलेख (किराएदार कि दशा में) और रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं विलेख घर की दशा में)।
(ख) मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिछले पांच वर्षो में कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं एवं कितने मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए है, इसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराए।	1.विधान सभा क्षेत्र 18 (मॉडल टाउन) में पिछले पांच वर्षो में मतदाता सूची से काटे गये कुल मतदाताः–8691 (आठ हजार छ सौ इक्कानवे)। 2.विधान सभा क्षेत्र 18 (मॉडल टाउन) में पिछले पांच वर्षो में मतदाता सूची में जोड़े गये कुल

	मतदाताः—10585 (दस हजार पांच सौ पिचासी)।
(ग) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जिन मतदाताओं का नाम बिना कारण बताए मतदाता सूची से काटा गया है तथा ये किस आधार पर काटा गया है, कारण सहित पूर्ण विवरण दे।	इस प्रकार का कोई नाम विधानसभा क्षेत्र 18 (मॉडलटाउन) के संज्ञान में नहीं है।
(घ) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र के सभी बूथों के बीएलओं की लिस्ट उनके नाम, मोबाईल नंबर, बूथ नंबर सहित उपलब्ध कराए।	सभी बी0एल0ओ0, की जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न है।
(ङ) आर्नेलाईन फार्म भरकर आवेदन किए जाने पर कौन–कौन से कारण हैं जिनके कारण फार्म रिजेक्ट कर दिए जाते है।	ई0आर0ओ0 नेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कारणों से फार्म निरस्त किये जाते है। 1. आवेदक विधानसभा क्षेत्र के अधीन ना होना। 2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम होने पर। 3. आवेदक के पहले से ही मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर। 4. आवेदक का भारत का नागरिक न होना। 5. आवेदक के द्वारा फोटोग्राफ न जमा करने पर। 6. आवेदक के द्वारा फोटोग्राफ अच्छी गुणवता के विनिर्देष के अनुसार नहीं होना। 7. आवेदक का पूरा नाम नहीं लिखा है/नाम सही नहीं भरा गया है। 8. आवेदक के द्वारा संबंध का पूरा नाम नहीं बताया गया है/संबंध का नाम सही नही भरा गया है। 9. आवेदक के द्वारा संबंध प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया हो। 10. आवेदक के द्वारा लिंग के प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया हो। 11. आवेदक के द्वारा जन्मतिथि का उल्लेख या तो किया नहीं गया या गलत किया गया हो। 12. आवेदक के द्वारा जन्म तिथि का प्रमाणपत्र या दस्तावेज जमा नहीं किया गया हो। 13. आवेदक के द्वारा वर्तमान साधारण पते का उल्लेख नहीं किया गया हो। 14. जन्म तिथि का प्रमाण आवेदक द्वारा भरे गए विवरण से मेल नही खाने पर। 15. आवेदक के द्वारा उस विधानसभा क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया हो। 16. आवेदक का निवासी प्रमाणपत्र में बेमेल होने पर। 17. निवास प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा भरे गए विवरण से मेल नही खाने पर। 18. आवेदक के द्वारा घोषणापत्र न भरा होना। 19. आवेदक के द्वारा आफलाईन फार्म में हस्ताक्षर न करने पर।

Scanned with OKEN Scanner

	20. नाम शामिल करने के खिलाफ प्राप्त आपति और आपति वैध पाई जाने पर। 21. आवेदक के सुनवाई पर उपस्थित न होने पर। 22. आवेदक को सक्षम न्यायलय द्वारा अस्वस्थ दिमाग घोषित किये गया हो। 23. प्रपत्र दो प्रतियों में प्राप्त हुंआ है तथा पूर्व में प्राप्त प्रपत्र प्रक्रिया धीन हैं।
(च) जनवरी 2021 से अब तक कितने ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसमें से कितने पास किए गए एवं कितने रिजेक्ट किए गए, और	1.विधानसभा क्षेत्र 18 (मॉडल टाउन) में जनवरी 2021 से 14.03.2023 कुल आनलाईन आवेदन :– 18044 (अठाहरे हजार चौवालिस)। 2. विधान सभा क्षेत्र 18 (मॉडल टाउन) में जनवरी 2021 से 14.03.2023 कुल पास आवेदन:– 8048 (आठ हजार अडतालिस)। 3. विधान सभा क्षेत्र 18 (मॉडल टाउन) में जनवरी 2021 से 14.03.2023 कुल निरस्त 9684 (नौ हजार छं सौ चौरासी)। 4.शेष 312 आवेदन विचाराधीन है।
(छ) क्या आर्नलाईन नया आवेदन करने के बाद उसकी हार्ड कापी चुनाव आयोग के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है, पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराए?	इस प्रकार का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सभी प्रकार के फ़ार्म के लिए चाहे वह आनलाईन और आफलाईन है संबंधित बी0एल0ओ0 को जांच सूची के लिए आवेदक के निवास स्थान पर जाकर सत्यापित करना होता हैं। अगर इस दौरान किसी दस्तावेज में कमी होती है तो मांग सकता है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं निर्वाचन द्वारा अनुमोदित किया गया है।

भवदीय,

सु. रावत

(सुबोध रावत)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्वीप)

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली–110006

File No. 188/CEO/SVEEP/P.A.Q. /2023/ 6058 – 6061 Dated:- 20/03/23

सेवा में

श्री नीरज अग्रवाल
उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

विषयः– दिनांक 22.03.2023 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 110 श्री अनिल बाजपेयी, द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रं संख्या सं.एफ.11 (बी–1)VII/2020–25/वि.स.स./प्रश्न शा./23597 दिनांक 13.03.2023 के सन्दर्भ में इस कार्यालय से उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के उत्तर की 100 प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न है। इस पत्र के साथ उत्तर व उसकी सॉफ्ट कॉपी PDF फ़ार्म में भेजी जा रही है।

भवदीय,

संलग्नः–उपरोक्त

सु. रावत

(सुबोध रावत)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्वीप)

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. सचिव, माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं निर्वाचन, दिल्ली सरकार, ए–विंग, 8वीं मंजिल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002.
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी–दिल्ली के निजी सचिव/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निजी सहायक

Scanned with OKEN Scanner

115/C 27/1

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली–110006

अतारांकित प्रश्न संख्याः– 110

दिनांकः– 22.03.2023

प्रश्नकर्ता का नामः– श्री अनिल बाजपेयी

क्या माननीय निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः–

प्रश्न	उत्तर
(क) गाँधी नगर, विधानसभा में कुल कितने मतदाता हैं तथा प्रति बूथ पर कितने पुरूष और कितनी महिलायें हैं, पूर्ण विवरण दें; और	गाँधी नगर विधानसभा में कुल 166196 मतदाता, और कुल पुरूष मतदाता 92066 व महिला मतदाता 74,130 हैं और प्रति बूथ की प्रतिलिपि संलग्न हैं।
(ख) गाँधी नगर, विधानसभा में एक अप्रैल 2020 से अभी तक कितने मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गये हैं, नाम और पता समेत पूर्ण विवरण दें?	गाँधी नगर विधानसभा में वर्ष 2020 से अभी तक कुल 12628 मतदाताओं के नाम विलोपन किये गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 01–01–2022 से विलोपन की सूची https://www.ceodelhi.gov.in/erollReport.aspx पर उपलब्ध हैं।

यह उत्तर माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं निर्वाचन द्वारा अनुमोदित किया गया है।

भवदीय,

सु. रावत

(सुबोध रावत)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्वीप)

Scanned with OKEN Scanner

110/C

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली–110006

File No. 188/CEO/SVEEP/P.A.Q. /2023/ 6054-6057 Dated:- 20/03/23

सेवा में

श्री नीरज अग्रवाल
उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

विषयः–दिनांक 22.03.2023 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 111 श्री रघुविन्दर शोकीन, द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रं संख्या सं.एफ.11 (बी–1)VII/2020–25/वि.स.स./प्रश्न शा./23597 दिनांक 13.03.2023 के सन्दर्भ में इस कार्यालय से उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर की 100 प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न है। इस पत्र के साथ उत्तर व उसकी सॉफ्ट कॉपी PDF फार्म में भेजी जा रही है।

भवदीय,

संलग्नः–उपरोक्त

सु. रावत
(सुबोध रावत)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्वीप)

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. सचिव, माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं निर्वाचन, दिल्ली सरकार, ए–विंग, 8वीं मंजिल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002.
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी–दिल्ली के निजी सचिव/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निजी सहायक।

Scanned with OKEN Scanner

109/ए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली—110006

अतारांकित प्रश्न संख्याः— 111

दिनांकः— 22.03.2023

प्रश्नकर्ता का नामः— श्री रघुविन्दर शोकीन

क्या माननीय निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः—

प्रश्न	उत्तर
(क) नांगलोई विधानसभा क्षेत्र में लेटेस्ट वोटर लिस्ट के हिसाब से कितने मतदाता रजिस्टर्ड हैं;	विधानसभा क्षेत्र—11 (नांगलोई जाट) में कुल 242350 मतदाता पंजीकृत हैं।
(ख) पिछले 5 साल के दौरान नांगलोई विधानसभा में कितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं एवं कितने जोड़े गए हैं, इसका पूर्ण विवरण दिया जाए;	विधानसभा क्षेत्र—11 (नांगलोई जाट) मे पिछले 5 साल में 39646 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है और 49741 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपन किया गया है।
(ग) क्या यह सत्य है कि विभाग को अकारण मतदाता सूची से नाम काटने से संबंधित शिकायतें मिल रही है; और	किसी भी दिवंगत या स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाता का नाम भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही विलोपन किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में कोई भी शिकायत मिलने पर उसकी जाँच करके उचित कारवाई की जाती हैं।
(घ) यदि हॉ, तो उसका भी विवरण दिया जाए?	उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मतदाता सूची से नाम काटने की 33 शिकायते मिली है जिनमें से 30 शिकायते नगर निगम चुनाव के दौरान प्राप्त हुई। सभी शिकायतों की जाँच करके उचित कार्यवाही की गई।

यह उत्तर माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं निर्वाचन द्वारा अनुमोदित किया गया है।

भवदीय,

सु. रावत

(सुबोध रावत)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्वीप)

Scanned with OKEN Scanner